12/03/19

12 MAR 2019
2392

**राजस्थान सरकार**
**गृह (ग्रुप–10) विभाग**

कमांकः– प. 1(1) गृह–10/2007 जयपुर, दिनांक 11-3-19

**आदेश**

राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं. 5 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1 (6) वित्त/रूल्स/1998 दिनांक 24.05.2004 के अनुसरण में इन्हे कॉलम सं. 6 में अंकित तिथि को अपरान्ह पश्चात से राजकीय सेवा से सेवा निवृत किया जाता है।

| क्र. सं. | नाम अधिकारी | पद एवं पदस्थापन स्थान | जन्मतिथि | अधिवार्षिकी आयु तिथि | सेवा निवृत तिथि | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री पदमचन्द | सहायक निदेशक, अभियोजन, करौली | 08.07.1959 | 07.07.2019 | 31.07.2019 | – |
| 2 | श्रीमती सुनीता जैन | सहायक निदेशक, अभियोजन, न्याया, भ्रनिब्यूरो, अजमेर | 10.07.1959 | 09.07.2019 | 31.07.2019 | – |
| 3 | श्री रमाकांत वशिष्ठ | उप निदेशक, अभियोजन, (मु.) राज. जयपुर | 15.08.1959 | 14.08.2019 | 31.08.2019 | – |
| 4 | श्री मोहम्मद अय्याज | उप निदेशक, अभियोजन, द्वितीय जयपुर | 28.09.1959 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | – |
| 5 | श्री सतीश भटनागर | अभियोजन अधिकारी न्यायालय, ऐसीजेएम, बांसवाडा | 23.11.1959 | 22.11.2019 | 30.11.2019 | – |
| 6 | श्री दिनेश कुमार यादव | सहायक निदेशक, अभियोजन, चूरू | 10.12.1959 | 09.12.2019 | 31.12.2019 | – |
| 7 | श्री राजेश धड़के | सहायक निदेशक, अभियोजन, वि.लो.अ. न्यायालय एनडीपीएस, चित्तौडगढ | 27.02.1960 | 26.02.2020 | 29.02.2020 | – |

1. क.सं. 1 से 7 पर अंकित अधिकारियों के विरूद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(रमेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग।
4. निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
6. जिला कलेक्टर करौली, अजमेर, जयपुर, बांसवाडा, चूरू, चित्तौडगढ।
7. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
8. उप/सहायक निदेशक अभियोजन, करौली, अजमेर, जयपुर द्वितीय, बांसवाडा, चूरू, चित्तौडगढ।
9. संबंधित अधिकारीगण।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

(रामप्रताप) 11/3/19
अनुभागाधिकारी

Scanned by CamScanner